



मुख्यालय  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
Employees' State Insurance Corporation  
पंचदीप भवन, नई दिल्ली -110 002

संख्या: ई-13/12/1/2018-ज°स°

दिनांक: 17.03.2018

**प्रेस विज्ञप्ति**

**ई एस आई सी अस्पताल, बरेली के हस्तांतरण व नवीकरण का शुभारंभ**

श्री संतोष गंगवार, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार, ने आज दिनांक 17 मार्च, 2018 को 50 बिस्तरों वाले ई एस आई सी अस्पताल, बरेली के हस्तांतरण व नवीकरण का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। जिसमें काफी संख्या में बीमित व्यक्ति तथा उनके परिजनों ने स्वास्थ्य जांच करवाकर इसका लाभ उठाया।

इस अवसर पर श्री संतोष गंगवार, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार, ने कहा कि क रा बी योजना के अंतर्गत व्याप्त बीमाकृत व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए अनेक स्वास्थ्य सुधार योजना शुरू किया गया है। जिसमें क. रा. बि. लाभार्थियों (बिमाकृत व्यक्ति तथा परिजन) को इलैक्ट्रॉनिक हैल्थ रिकार्ड की ऑनलाइन उपलब्धता, अभियान इंद्रधनुष सप्ताह के प्रतिदिन इंद्रधनुषी (विवग्योर) प्रतिरूप के अनुसार चादर बदलना सुनिश्चित करना, आपातकाल सुविधाएँ तथा क.रा.बी. निगम अस्पताल के हताहत/आपातकाल से मार्गदर्शन लेने हेतु चिकित्सा हेल्पलाइन संख्या 1800 11 3839, क.रा.बी.निगम अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष ओ.पी.डी. शामिल है। इस सुधार एजेंडा के अंतर्गत क.रा.बी. निगम उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अधिक से अधिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा हितलाभ देने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त, 40 वर्ष की आयु के बीमितो के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है तथा प्रवासी श्रमिकों के लिए दो औषधालयों में पंजीकरण कराने का विकल्प है। क रा बीमा योजना के बीमितो को पैथ लैब, एक्सरे, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, कैंसर की जांच/उपचार, सीटी स्कैन, एमआरआई और आईसीयू सेवाएं पीपीपी मॉडल पर उपलब्ध कराई जाती है।

उन्होंने कहा कि 50 बिस्तरों वाला यह अस्पताल ई एस आई योजना के लाभार्थियों के लिए एक सुखद पहल होगी। यह अस्पताल बरेली और आस-पास के इलाकों के ई एस आई योजना के बीमित लोगो और उनके परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। अभी इस अस्पताल में ओ पी डी सुविधा, लघु ओपरेशन थियेटर दवाई केंद्र वार्ड ईत्यादि आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके नवीकरण पर लगभग 1.18 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। क रा बीमा अस्पताल बरेली बीमित व्यक्तियों को ओ पी डी, सेकेंडरी केयर उपचार, सभी प्रकार के आकस्मिक सुविधाएं, सामान्य सर्जरी, महिला एवं प्रसूति रोग, आँख, नाक-कान- गला, टीकाकरण एवं परिवार कल्याण संबंधी सभी सुविधाएँ प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईएसआईसी द्वारा अभी हाल ही में साहिबाबाद, वाराणसी, जाजमऊ (कानपुर) तथा लखनऊ स्थित 4 अस्पतालों का उत्तर प्रदेश सरकार से अधिग्रहण किया गया है।

उन्होंने ईएसआईसी के महानिदेशक, श्री राजकुमार एवं सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया जिनके अथक प्रयासों से इस अस्पताल के नवीकरण का कार्य पूरा हुआ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारियों के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित है।

इस सुअवसर पर श्री उमेश गौतम, माननीय महापौर, बरेली, डॉ° अरुण कुमार, माननीय विधायक, बरेली, डॉ° डी° सी° वर्मा, माननीय विधायक, मीरगंज, श्री बहोरन लाल मौर्य, माननीय विधायक, भोजीपुरा, श्री क्षत्र पाल गंगवार, माननीय विधायक, बहेड़ी, उत्तर प्रदेश, श्री राम किशोर त्रिपाठी, माननीय सदस्य, ई एस आई सी और श्रीमती उषा उपाध्याय, माननीया पार्षद, श्री राज कुमार, भा. प्र. से., महानिदेशक, इ एस आई सी, श्री एस एस रिजवी, भा. प्र. से., निदेशक, ई एस आई एस, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री ए पी त्रिपाठी, अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक, कानपुर तथा डॉ° चरणजीत सिंह, चिकित्सा अधीक्षक, इ एस आई सी अस्पताल, बरेली भी उपस्थित थे।

**उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना**

कर्मचारी राज्य बीमा योजना सबसे पहले कानपुर एवं दिल्ली में एक साथ शुरू की गई थी तथा योजना का उद्घाटन 24 फरवरी 1952 को कानपुर में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया था। उस समय कानपुर में कुल 200 बीमित व्यक्ति तथा 800 हितलाभार्थी पंजीकृत थे। वर्तमान में, प्रदेश के 56413 कारखानों एवं प्रतिष्ठानों के लगभग 19 लाख कर्मचारी क० रा० बी० योजना के अंतर्गत व्याप्त हैं। लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 73.26 लाख है तथा उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का प्रशासनिक प्रबंधन क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर, 03 उप क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा, वाराणसी व लखनऊ तथा 37 शाखा कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। 116 क रा बी औषधालयों, 15 अस्पतालों एवं 01 आदर्श अस्पताल के माध्यम से प्राथमिक एवं दीर्घकालिक चिकित्सा सेवाएँ मुहैया कराई जाती हैं।

### **भारत मे कर्मचारी राज्य बीमा योजना**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारियों को रोजगार के दौरान लगी चोट, बीमारी, मृत्यु, निःशक्तता आदि जैसे हालातों में नगद हितलाभ तथा उचित चिकित्सा सुविधा जैसी व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है। क रा बी योजना उन कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में लागू है, जहाँ 10 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। उपयुक्त श्रेणियों के कारखानों एवं प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो रु 21,000/- तक प्रतिमाह वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे क रा बी अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा व्यापक एवं अन्य हितलाभ पाने के हकदार हैं। पूरे देश में 8.98 लाख कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में क रा बी योजना लागू है, जिससे कामगारों के लगभग 3.19 करोड़ परिवार एकको के हितलाभ मिल रहे हैं। परिणामस्वरूप क रा बी योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 12.40 करोड़ से अधिक हो गई है। सन 1952 में अपनी शुरुआत से, क रा बी निगम अब तक 151 अस्पतालों, 1489/174 औषधालयों/आईएसएम एकको, 815 शाखा/भुगतान कार्यालयों एवं 63 क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना कर चुका है।

-----